<u>न्यायालय–विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.) जबलपुर,म.प्र.</u>

विशेष प्रकरण क्रमांक 07/2025
सी.बी.आई. विरूद्ध राकेश कुमार सिंह एवं अन्य
आई.ए.नं. 02/2025
आदेश दिनांक–26.08.25

.....

कु. चंद्रकला माहोरे पुत्री स्व. श्री भीकचंद माहोरे, आयु करीब 65 वर्ष, निवासी–पदवती नगर, बोदेन रेलवे नागपुर (महाराष्ट्र)

————————आवेदक/अभियुक्त

विरूद्ध

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
इकाई– ए.सी.बी., जबलपुर (म.प्र.)

———————अनावेदक/अभियोजन

– – 0 – –

<u>पुनश्च :–26.08.2025</u>

अपराध क्रमांक	आरसी 0092019एस0013
थाना	सी.बी.आई., ए.सी.बी., जबलपुर
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	28.11.2019
आपराधिक रिकॉर्ड	निल
गिरफ्तारी दिनांक	24.08.2025
चालान प्रस्तुति दिनांक	मूल अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक 07.01.2025 पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक 08.07.2025

आवेदक के विरूद्ध थाना सी.बी.आई., ए.सी.बी., जबलपुर की ओर से पूरक अभियोग पत्र दिनांक 08.07.2025 को प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/आरोपी श्रीमती चंद्रकला माहोरे द्वारा श्री अशोक तिवारी, अधिवक्ता।

राज्य/सी.बी.आई. की ओर से श्री बृजेश कुमार यादव, वरिष्ठ लोक अभियोजक, श्री संजय उपाध्याय, लोक अभियोजक एवं श्री अंकित गोयल लोक अभियोजक उपस्थित।

1. अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का लिखित

जवाब/प्रतिवेदन नहीं देना व्यक्त कर मौखिक तर्क सुनाए जाने का निवेदन किया।

2. जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

3. इस आदेश के द्वारा आवेदक/आरोपी कु. चन्द्रकला माहोरे द्वारा प्रस्तुत द्वितीय नियमित जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. 2023 (आई.ए.नं. 02/2025) का निराकरण किया जा रहा है।

4. वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक/आरोपी चंद्रकला माहोरे की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय नियमित जमानत आवेदन पत्र होना उल्लेखित कर आवेदन के समर्थन में आवेदक के भाई दिलीप कुमार महोरे पिता स्व. श्री भीकचंद महोरे का शपथ पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/आरोपी का प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र (आई.ए.नं. 01/2025) अनावेदक/अभियोजन का नाम गलत टंकित होने से आवेदक के अधिवक्ता के द्वारा बल नहीं दिये जाने के कारण आज दिनांक 26.08.2025 को निरस्त किया गया है।

5. आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत द्वितीय नियमित जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक/आरोपी को सी.बी.आई. ए.सी.बी. जबलपुर के द्वारा अपराध क्रमांक आर.सी. 0092019एस0013 अन्तर्गत धारा 406, 419, 420, 467, 468 एवं 471 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर आवेदक/आरोपी को दिनांक 24.08. 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आवेदक/आरोपी निर्दोष है, उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक/आरोपी 65 वर्ष की बुजुर्ग महिला होकर आये दिन उसका स्वास्थ्य खराब रहता है व आवेदक/आरोपी हाई बी.पी. की बीमारी से ग्रसित है। वह अपने घर से ही गिरफ्तार हुई है, उसने भागने या फरार होने की कोई कोशिश नहीं की है। इस प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है तब उसे न्यायिक अभिरक्षा में रखना न्यायोचित नहीं होगा। आवेदक/आरोपी न्यायालय के समक्ष सक्षम जमानत प्रस्तुत करने को तैयार है, वह न्यायालय की समस्त शर्तों का पालन करेगी तथा प्रत्येक सुनवाई को न्यायालय के समक्ष स्वयं अधिवक्ता के साथ प्रस्तुत रहेगी। आवेदक/आरोपी उपरोक्त पते अनुसार नागपुर जिले की स्थायी निवासी है। वह एक वृद्ध महिला होकर उसके भागने व फरार होने की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक/आरोपी का जमानत आवेदन स्वीकार कर उसे नियमित जमानत पर स्वतंत्र किए जाने का निवेदन किया गया है।

6. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि थाना माधवनगर कटनी में पुलिस अधीक्षक कटनी के पत्र दिनांक 11.11.2017 के साथ कलेक्टर कटनी का पत्र क्रमांक

130/बरगी भूअर्जन/अपर कले./2017 दिनांक 08.11.2017 प्राप्त हुआ जिसके आधार पर जांच प्रारंभ की गयी एवं जांच में पाया गया कि भू–अर्जन अधिकारी बरगी नहर परियोजना कटनी का खाता क्रमांक 2138843611 सेन्ट्रल बैंक कटनी में है। भू–अर्जन अधिकारी द्वारा जिन किसानों की अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि स्वीकृत की जाती है, उन्हें सेन्ट्रल बैंक के चेक से भुगतान किया जाता है। इस हेतु माह जुलाई 2016 में बैंक से 26 चेक बुक इश्यू कराई गई थीं। इनमें से कुछ चेक बुक इस्तेमाल हुए तथा कुछ चेक बुक मूलतः बिना उपयोग हुए कार्यालय में उपलब्ध हैं। इन्हीं चेक बुक में से चेक संख्या 12021 से 12040 तक, चेक बुक संख्या 1204112060 तक, संख्या 1206012080 तक एवं चेक बुक संख्या 1208112100 के ही चेकों से आहरणकर्ता अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर भू–अर्जन बरगी परियोजना कटनी के सेन्ट्रल बैंक कटनी के खाता क्रमांक 2138843611 में से कुल राशि रू. 4,09,84,470/– का आहरण कर लिया गया जबकि मूल चेक बुक/चेक कार्यालय में ही उपलब्ध हैं। यह राशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया के खाता क्रमांक 203012390099 के धारक रितेश कुन्डू, खाता क्रमांक 20334932821 के धारक गोविन्द प्रसाद, खाता क्रमांक 20442244537 के धारक उमेश पाण्डेय, खाता क्रमांक 20408198045 के धारक धीरज अग्रवाल, खाता क्रमांक 20433599863 के धारक विशाल गुप्ता, यूको बैंक के खाता क्रमांक 26050110020432 के धारक जायधर, खाता क्रमांक 1780110056455 के धारक अमितधर एवं यूनियन बैंक खाता क्रमांक 7532010050062 धारक ग्रीन व्यू के खातों में क्लियर होकर जमा होना पायी गयी। इस प्रकार उक्त खाता धारकों द्वारा कूटरचित चेक तैयार कर एवं आहरणकर्ता अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर इन चेकों का उपयोग कर रू. 4,09,84,470/–का आहरण कर गबन कर लिया गया तथा चेक बुक में आवेदक सहित अन्य सहआरोपीगण के नाम से फर्जी चेक होने से सहआरोपीगण एवं शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक कटनी तथा इलाहाबाद बैंक के कर्मचारी एवं अधिकारियों के विरूद्ध सन्देह किया गया जिसकी जांच उपरान्त अपराध होना पाए जाने पर पुलिस थाना माधवनगर, जिला कटनी में अपराध क्रमांक 1020/2017 अन्तर्गत धारा 406, 419, 420, 467, 468 एवं 471 भा.दं.सं. पंजीबद्ध किया गया और भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 18.10.2019 के आलोक में सी.बी.आई. को अग्रिम विवेचना हेतु अंतरित हुआ। सी.बी.आई./ए.सी.बी. जबलपुर द्वारा अपराध क्रमांक आर.सी. 0092019एस0013 अन्तर्गत धारा 406, 419,420, 467, 468 एवं 471 भा.दं.सं. दिनांक 28.11.2019 को पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर

आरोपी शुभाशीष सरकार, राकेश कुमार सिंह उर्फ रितेश कुन्डू, संजीव शाह एवं संजीव शिकारी के विरूद्ध धारा 61, 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. (पूर्व में धारा 120–बी, 419, 420, 467, 468 एवं 471 भा.दं.सं.) के अन्तर्गत दिनांक 07.01.2025 को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी.बी.आई.) जबलपुर के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया एवं अन्य आरोपीगण के विरूद्ध धारा 173(8) दं.प्र.सं. के तहत विवेचना जारी रखी गयी। दिनांक 08.07.2025 को आवेदक/आरोपी चंद्रकला मोहरे पिता स्व. श्री भीखचंद मोहरे के विरूद्ध विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सी.बी.आई. जबलपुर के न्यायालय में भा.दं.सं. की धारा 120बी सहपठित धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 तथा 409 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(सी) और (डी) के तहत पूरक अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया जहां से उपार्पण पश्चात् माननीय सत्र न्यायालय जबलपुर से दिनांक 26.07.2025 को यह प्रकरण अंतरित होकर विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। आवेदक/आरोपी कु. चंद्रकला माहोरे के प्रारंभ से अनुपस्थित रहने के कारण उसे दिनांक 29.07.2025 को जमानती वारंट द्वारा तलब किया गया। जमानती वारंट की दिनांक 11.08.2025 को तामीली उपरांत भी उसके अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने का आदेश दिया गया। गिरफ्तारी वारंट के पालन में सी.बी.आई. के द्वारा आवेदक/आरोपी कु. चंद्रकला माहोरे को दिनांक 24.08.2025 को गिरफ्तार कर इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.08.2025 को प्रस्तुत किया गया।

7. आवेदक की ओर से तर्क किया गया है कि प्रकरण में अभियोग प्रस्तुत हो चुका है इसलिए सी.बी.आई. को अब आवेदक से पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक 65 वर्षीय वृद्ध महिला होकर अस्वस्थ्य रहती है एवं हाई बी.पी. की मरीज है। आवेदक को उसके घर से गिरफ्तार करने से उसके भागने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक बी.एन.एस.एस. की धारा 480 के परंतुक के अंतर्गत कवर होती है। आवेदक के द्वारा रिटायर होने पर पूरे चेक अन्य कर्मचारी को सुपुर्द कर दिये थे। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है।

8. सी.बी.आई. की ओर से तर्क किया गया है कि आवेदक घटना के समय भू–अर्जन अधिकारी बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी (म.प्र.) के कार्यालय में सहायक ग्रेड–2/लिपिक के पद पर लोकसेवक के रूप में कार्यरत थी तथा चेकबुक आरोपी के आधिपत्य में रहते थे। जिनको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आवेदक की थी। आवेदक द्वारा अन्य आरोपीगण के साथ आपराधिक षड़यंत्र में शामिल होते हुए जारी किये गये चेकों की जानकारी उपलब्ध करायी क्योंकि कौन से चेक जारी हुए हैं एवं

कौन से भूअर्जन विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये इसकी जानकारी आरोपी के सिवाय किसी अन्य को नहीं हो सकती। श्रीमती सुनंदा पंचभाई के दिनांक 28.08.2017 से 29.09.2017 तक दक्षिण कोरिया में प्रशिक्षण के लिए जाने के कारण श्री फ्रेंक नोबल ए, तत्कालीन सीईओ, जिला पंचायत कटनी ने भू–अर्जन अधिकारी कटनी का कार्यभार संभाला था और दक्षिण कोरिया से लौटने के बाद श्रीमती सुनंदा पंचभाई ने पुनः दिनांक 09.10.2017 को पदभार संभाला और दिनांक 03.05.2018 तक पदस्थ रहीं। आवेदक/आरोपी सुश्री चंद्रकला माहोरे, जो एलएओ कार्यालय में सहायक (क्लर्क) के रूप में कार्य कर रही थीं, उनका कार्य एलएओ कार्यालय के चेक/चेक बुक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना, चेक पर विवरण भरना, सभी संबंधित रिकार्ड और दस्तावेजों को रखना एवं एलएओ कार्यालय के सभी आधिकारिक पत्रों को संबंधित बैंकों और विभागों/कार्यालयों तक पहुंचाने एवं प्राप्त करने का था किन्तु आवेदक के द्वारा जानबूझकर कार्यालय से संबंधित पत्रों के बारे में बैंकों को सूचना नहीं पहुंचाई। पूरक अभियोग पत्र दाखिल किए जाने एवं आरोपी को जमानती वारंट के निर्वाहित हो जाने पर भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई जिससे आरोपी के द्वारा अपने को न्यायिक प्रक्रिया से बचाना दर्शित होता है। 53 क्लोन चेकों के माध्यम से शासन की राशि 4,43,00,000/–रू. का आहरण कर शासन को नुकसान पहुंचाया गया है। आवेदक किसी भी स्थिति में जमानत की पात्र नहीं है।

9. मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया।

10. मूल अभिलेख एवं पूरक अभियोग पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/आरोपी सुश्री चंद्रकला माहोरे वर्ष 2017 के दौरान भू–अर्जन अधिकारी बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी (म. प्र.) के कार्यालय में सहायक ग्रेड–2/लिपिक के पद पर लोकसेवक के रूप में कार्यरत होकर एलएओ कार्यालय में उनका कार्य एलएओ कार्यालय के चेक/चेक बुक को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना, चेक पर विवरण भरना, सभी संबंधित रिकार्ड और दस्तावेजों को रखना एवं एलएओ कार्यालय के सभी आधिकारिक पत्रों को संबंधित बैंकों और विभागों/कार्यालयों तक पहुंचाने एवं प्राप्त करने का था।

11. अभियोजन कथानक के अनुसार इस मामले में अपराध दिनांक 13.09.2017 से 01.11.2017 की अवधि के दौरान किया गया था उक्त अवधि के दौरान सुनंदा पंचभाई के जाली हस्ताक्षर वाले क्लोन चेक एल.ए.ओ. बरगी डायवर्सन प्रोजेक्ट कटनी के सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया,कटनी शाखा में स्थित बैंक खाता क्रमांक 2138843611 से क्लियर किये गये थे जबकि एलएओ खाते के मूल खाली चेक सुरक्षित अभिरक्षा के लिए चंद्रकला माहोरे को सौंपे गये

थे और उन्होंने आपराधिक विश्वासघात किया तथा इस मामले में अपराध करने के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ आपराधिक षड़यंत्र के तहत उनके मूल चेकों के विवरण के साथ छेड़छाड़ की गयी थी। आरोपी/आवेदक सुश्री चंद्रकला माहोरे ने जानबूझकर उक्त बैंक खाते में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के परिवर्तन से संबंधित पत्र, अर्थात् प्रभार हस्तांतरण प्रमाण पत्र दिनांक 29.08.2017 सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, कटनी शाखा को नहीं पहुंचाया। आवेदक/आरोपी सुश्री चंद्रकला माहोरे ने दिनांक 12.09.2017 को सेंट्रल बैंक आफ इंडिया कटनी शाखा में श्री नोनेलाल कोल पुत्र फकीरेलाल कोल को भुगतान हेतु एक आरटीजीएस अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कथित रूप से श्रीमती सुनंदा पंचभाई, एलएओ के हस्ताक्षर से था जिसमें इस तथ्य को छिपाया गया कि श्रीमती सुनंदा पंचभाई को एलएओ के पद से दिनांक 26.08.2017 को ही कार्यमुक्त कर दिया गया था और बैंक खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को बदल दिया गया था। यदि सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, कटनी शाखा को बैंक खाते में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता परिवर्तन के संबंध में उक्त पत्र प्राप्त हो जाता तो यह धोखाधड़ी रोकी जा सकती थी।

12. सभी मूल खाली चेक जांच के दौरान जब्त किए जाने तक आवेदक/आरोपी चंद्रकला माहोरे की अभिरक्षा में रहे जबकि इस मामले में अपराध के लिए इस्तेमाल किए गये सभी जाली चेकों में उल्लेखित चेक संख्यायें (श्रृंखला/क्रमांक) आवेदक/आरोपी की अभिरक्षा में रखे गए मूल खाली चेकों के समान पाये गये। इस प्रकार सहअभियुक्तों ने आवेदक/आरोपी चंद्रकला माहोरे की मदद से उसके साथ षड़यंत्र रचकर जाली चेक तैयार किए और जाली चेक भुगतान के लिए विभिन्न बैंकों में प्रस्तुत किये तथा क्लोन/जाली चेकों के माध्यम से शासकीय 04 करोड़ से अधिक की राशि की शासन से धोखाधड़ी की गयी है तथा आवेदक के अक्सर बीमार रहने एवं हाई बी.पी. का मरीज होने के संबंध में आवेदन पत्र के साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

13. अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए आवेदक को नियमित जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक/आरोपी सुश्री चंद्रकला माहोरे पुत्री स्व. भीखचंद माहोरे की ओर से प्रस्तुत उक्त द्वितीय नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् संज्ञान पर तर्क हेतु दिनांक 08.09.2025 को पेश हो।

सही/–
(रूपेश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई.),
जबलपुर (म.प्र.)

ROOPESH

Digitally signed by ROOPESH
Date: 2025.08.26 18:01:37 +0530